



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939

No. 339]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

सा.का.नि. 429(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार का, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, बनाने का प्रस्ताव है, उक्त धारा 12 और धारा 33 के उपबंधों की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको इन प्रारूप नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नम्बर 414-ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे या ई मेल पते drugsdiv-mohfw@gov.in पर मेल किए जा सकेंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो पूर्वोक्त अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2017 है।
2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 71 के उपनियम (6) में, “पेटेंट या सांपत्तिक औषधियों” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, “ओषधियों” शब्द रखा जाएगा।
3. उक्त नियमों के नियम 71ख में, “पेटेंट या सांपत्तिक औषधियों” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, “ओषधियों” शब्द रखा जाएगा।
4. उक्त नियमों के नियम 76 के उपनियम (7) में, “पेटेंट या सांपत्तिक औषधियों” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, “ओषधियों” शब्द रखा जाएगा।
5. उक्त नियमों के नियम 76क में, “पेटेंट या सांपत्तिक औषधियों” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, “ओषधियों” शब्द रखा जाएगा।
6. उक्त नियमों की अनुसूची घ की सारणी में, ‘ओषधियों के वर्ग’ स्तंभ के नीचे मद संख्यांक 1 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“ऐसे पदार्थ, जो चिकित्सीय उपयोग के लिए आशयित नहीं हैं, उन पदार्थों को अपवर्जित करते हुए, जो और शोधित तथा उनको विसंक्रमित करने के पश्चात् औषधि के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं”।

[फा. सं. एक्स.-11014/2/2014-डी.एफ.क्यू.सी.]

कुन्दन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.28-10/45-एच(1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 327 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2017

G.S.R.429(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 414 A, D Wing, Nirman Bhavan, New Delhi – 110011 or sent on email at drugsdiv-mohfw@gov.in .

Objections and suggestions which may be received from any person within the period of specified above will be considered by the Central Government.

Draft rules

1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics (_____Amendment) Rules, 2017.
2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 71, in sub-rule (6), for the words “patent or proprietary medicines” at both places where they occur, the word “drugs” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 71-B, for the words “patent or proprietary medicines” at both places where they occur, the word “drugs” shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 76, in sub-rule (7), for the words “patent or proprietary medicines” at both places where they occur, the word “drugs” shall be substituted.
5. In the said rules, in rule 76A, for the words “patent or proprietary medicines” at both places where they occur, the word “drugs” shall be substituted.
6. In the said rules, in Schedule D, in the Table, against item 1, under the column “Class of drugs”, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
“Substances not intended for medicinal use excluding those intended to be used as drugs after further purification or rendering them sterile.”.

[F. No. X-11014/2/2014-DFQC]

K. L. SHARMA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification No. F.28-10/45-H (1) dated 21st December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R. 327 (E) dated 3rd April, 2017.